न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,षष्टम् सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम
बिहारशरीफ,नालन्दा।

उपस्थितिः– धीरज कुमार भास्कर,अपर सत्र न्यायाधीश,षष्टम् सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम
बिहारशरीफ,नालन्दा।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0 362/2026

आशीष कुमार, पे0 रामायण प्रसाद
साकिन/मोहल्ला–मलकाना, थाना–मसौढ़ी, जिला–पटना..... आवेदक

बनाम

बिहार सरकार

23.03.2026

परिवाद पत्र संख्या–877सी0/2024 अंतर्गत धारा–406, 420 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आवेदक अभियुक्त आशीष कुमार की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान् विशेष लोक अभियोजक को दी गयी। आवेदक अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर आज सुनवाई की गयी।

उक्त जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान् विशेष लोक अभियोजक को सुना गया।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता ने जमानत आवेदन के समर्थन में कथन किये है कि आवेदक की ओर से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय,पटना में दाखिल किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष है। आवेदक पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर के पद पर पदस्थापित थे। सूचक सन् 2012 में 25,000/– रुपया जमा कर खाता खोला था तथा सन् 2013 में वह पोस्ट ऑफिस आ कर आवेदक से रुपया का मॉग करने लगा तथा आवेदक के साथ झगड़ा करने लगा। उसे सूचक के उक्त लेन–देन से कोई सरोकार नहीं है। आवेदक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने की आशंका है। वह न्यायप्रिय व्यक्ति है और उसे फरार होने की संभावना नहीं है। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाय।

विद्वान् विशेष लोक अभियोजक एवं परिवादी के विद्वान् अधिवक्ता ने आवेदक/अभियुक्त के जमानत आवेदन का विरोध किये हैं।

परिवादी अरविंद कुमार द्वारा दाखिल परिवाद पत्र के अनुसार अभियोजन का कथन संक्षेप में यह है कि आशीष कुमार वर्ष 2018 ई0 में ग्राम ताजनीपुर, थाना–बिन्द, जिला–नालंदा में पोस्ट मास्टर ग्रेड–1 के पद पर पदस्थापित थे। उनके कहने पर परिवादी अरविंद कुमार उक्त डाकघर में स्वयं एवं अपने परिवार के सदस्यों के नाम से आठ पंचवर्षीय Fixed Diposite खोला था, जिसमें कुल सैंतीस तिथियों में 11,25,000/– रुपया जमा किया। सभी जमा राशि के संबंध में आशीष कुमार खाता धारक का नाम, तारीख, राशि बैगरह अंकित कर बिना पासबुक नं0 का अपना हस्ताक्षर एवं मोहर लगाकर पासबुक निर्गत किया। सभी आठ पासबुक में जमा राशि परिपक्व हो जाने के उपरांत उस राशि को निकालने के लिए मई, 2022 में परिवादी सभी पासबुक अभियुक्त आशीष कुमार के पास जमा कर दिया। परंतु

क्रमशः

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,षष्टम् सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम
बिहारशरीफ,नालन्दा।

उपस्थितिः— धीरज कुमार भास्कर,अपर सत्र न्यायाधीश,षष्टम् सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम
बिहारशरीफ,नालन्दा।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0 362/2026

आशीष कुमार बनाम बिहार सरकार

लगातार

23.03.2026

अभियुक्त आशीष कुमान न तो रुपया दिया और न ही उक्त पासबुक वापस किया। परिवादी को संदेह होने पर अपने पास रखे कुछ पासबुक को बाढ़ डाकघर के पोस्ट मास्टर को दिखाया तो उसे पता चला कि एक पासबुक को छोड़कर शेष पासबुक फर्जी है।

जमानत के बिन्दु पर उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक आशीष कुमार के विरूद्ध अभियोग है कि ताजनीपुर डाकघर के पोस्ट मास्टर ग्रेड—1 के रूप में कार्य करते हुए परिवादी अरविंद कुमार से Fixed Deposit के नाम पर 37 तिथियों में 11,25,000/—रुपया लेकर फर्जी पासबुक निर्गत किये जिस पर वह अपना हस्ताक्षर भी करता था। न्यायालय द्वारा आवेदक के विरूद्ध धारा—406, 420 भा0द0वि0 के तहत प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य पाते हुए सम्मन निर्गत करने का आदेश पारित किया गया है। इस तरह आवेदक पर गंभीर प्रकृति का आरोप लगाया गया है। इस स्थिति में आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचना करने के उपरांत न्यायालय आवेदक अभियुक्त आशीष कुमार की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को **खारिज** करती है।

(लेखापित एवं संशोधित)
ह0/—
(धीरज कुमार भास्कर)
अपर सत्र न्यायाधीश—षष्टम्
सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम
नालन्दा, बिहारशरीफ।